निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक सी-505/बा0वि0परि0/पी0एफ0एम0एस0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर, 2021

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शासनादेश संख्या-11/2019/868/60-2-19-2/1(24)17टी0सी0, दिनांक 07 मार्च 2019 द्वारा ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं एवं मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिये कार्य आधारित प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गयी थी जिसके क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या सी-113/बा0वि0परि0/लेखा-2019-20, दिनांक 22.04.2019 द्वारा पी0एल0आई0 के पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से भुगतान हेतु विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये थे।

शासनादेश संख्या-11/2019/868/60-2-19-2/1(24)17टी0सी0, दिनांक 07 मार्च 2019 द्वारा लागू पी0एल0आई0 दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गयी। शासनादेश संख्या-39/2021/2815/58-1-2021-2/1(24)17टी0सी0, दिनांक 14 सितम्बर 2021 (प्रति संलग्न) द्वारा वर्तमान में ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं एवं मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिये प्रोत्साहन योजना (Performance Linked Incentive Scheme) लागू की गयी है, जिस हेतु मानक एवं मापदण्ड निम्नवत् निर्धारित किये गये हैं :-

क्र0 सं0	प्रोत्साहन राशि हेतु मानकों एवं मापदण्डों का विवरण	प्रतिमाह देय प्रोत्साहन की धनराशि (रूपये में)		
		ऑगनबाड़ी कार्यकत्री	मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकत्री	ऑगनबाड़ी सहायिका
1	2	3	4	5
1	अनुपूरक पोषाहार की डी0आई0 के अनुसार सभी पंजीकृत लाभार्थियों को प्रत्येक माह अनुपूरक पोषाहार का शत-प्रतिशत वितरण कार्य करना।	500.00	500.00	400.00
2	समस्त पंजीकृत लाभार्थियों के लिए पोषण ट्रैकर के सभी क्षेत्रों का प्रत्येक माह शत-प्रतिशत फीडिंग कार्य पूर्ण करना।	1000.00	750.00	350.00
	योग :-	**1500.00**	**1250.00**	**750.00**

1. उपरोक्त निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण किये जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।
2. एक माह में ऑगनबाड़ी कार्यकत्री को कुल अधिकतम रूपया 1500/-, मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकत्री को रूपया 1250/- एवं सहायिका को रूपया 750/- प्रोत्साहन धनराशि अतिरिक्त मानदेय के रूप में प्राप्त हो सकेगी।
3. उक्त प्रोत्साहन योजना (Performance Linked Incentive Scheme) दिनांक 01 सितम्बर 2021 से लागू होगी।

उक्त भुगतान की समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी की होगी।

कृपया उक्त प्रोत्साहन योजना के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 14 सितम्बर 2021 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये उक्त प्रोत्साहन धनराशियों का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल (http://balvikasup.nic.in) के माध्यम से माह सितम्बर 2021 के मानदेय के साथ सुनिश्चित करायें एवं आगे के माहों के भुगतान हेतु प्रत्येक माह की 25 तारीख तक अनुमन्यता के अनुसार पी0एल0आई0 की पी0एफ0एम0एस0 में फीडिंग कराते हुए डिजिटली वेरीफाई करें।

पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल (http://balvikasup.nic.in) पर उक्त प्रोत्साहन राशि की फीडिंग/भुगतान हेतु पी0एल0आई0–1 एवं पी0एल0आई0–2 हेतु क्रमशः पी0एल0आई0–4 एवं पी0एल0 आई0–5 नाम के कालम प्रावधानित किये गये हैं। उक्तानुसार पी0एल0आई0–1 (अनुपूरक पोषाहार की डी0आई0 के अनुसार सभी पंजीकृत लाभार्थियों को प्रत्येक माह अनुपूरक पोषाहार का शत–प्रतिशत वितरण कार्य करना।) की फीडिंग पोर्टल पर कालम 4 एवं पी0एलआई0–2 (समस्त पंजीकृत लाभार्थियों के लिए पोषण ट्रैकर के सभी क्षेत्रों का प्रत्येक माह शत–प्रतिशत फीडिंग कार्य पूर्ण करना) की फीडिंग कालम–5 में अनुमन्यता के अनुसार Yes अथवा No की प्रविष्टि करते हुए की जायेगी।

अतः कृपया उक्तानुसार पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर माह सितम्बर, 2021 की प्रविष्टियां दिनांक 25.09.2021 तक वेरीफाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि सितम्बर, 2021 के मानदेय (देय अक्टूबर, 2021) के साथ शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पी0एल0आई0 का भुगतान सुनिश्चित हो सके।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या /तद्दिनांक :

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. उप महानिदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, तृतीय तल, योजना भवन, लखनऊ।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक